How to Cite:
किरण कुमारी **(2008).** नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे
International Journal of Economic Perspectives), 33-39.
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे

किरण कुमारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वरनगर, दरभंगा, सामाजिक विज्ञान (इतिहास)

भारत के सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ और कुविचार स्त्रियों की दुर्दशा तथा नारकीय जीवन के प्रमुख कारण रहे हैं। परिवार में पुत्री का जन्म दुःख का कारण माना जाता था। बाल्यावस्था में पुत्रियों को पुत्रों की तुलना में परिवार में काफी कम महत्व दिया जाता था। शिक्षा के अवसर से तो उन्हें महरूम रखा ही जाता था, खान–पान और रहन–सहन के मामले में भी पुत्रियाँ प्रायः उपेक्षित ही रहती थीं। बाल–विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा और विधवाओं के प्रति पारम्परिक दृष्टि ने नारी जीवन को अभिशाप बना दिया था। परिवार की सवा ही स्त्री का सर्वोपरि धर्म माना जाता था और उसमें परिवार के सदस्यों की असंतुष्टि प्रताड़ना का कारण बना जाता था। बांझ या लगातार पुत्रियाँ जन्म देनेवाली स्त्री का जीवन अत्यन्त ही कष्टकर बन दिया जाता था, कभी–कभी तो उन्हें परित्यक्त भी कर दिया जाता था। पराश्रिता, परावलम्बिता, उपेक्षा, प्रताड़ना और शोषण भारतीय स्त्रियों की नियति थी। स्त्रियों के लिए निर्धारित सामाजिक–धार्मिक अयोग्यताएँ उन्हें आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हाशिए पर डालती थीं। अतः आधुनिक भारत में नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे सर्वाधिक मुखर थे। गारतलब है कि सतीप्रथा समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह तथा स्त्री शिक्षा के लिए 19वीं सदी में सुधारकों द्वारा चलाए गए आन्दोलनों की पृष्ठभूमि में 20 वीं सदी में नारी आन्दोलन का उदय और विकास हुआ। प्रस्तुत अध्याय में 20वीं सदी के नारी आन्दोलन के प्रमुख सामाजिक मुद्दों की विवेचना की गई है।

बाल विवाह सुधार

बाल विवाह के मुद्दे पर 1920 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित नारी संगठनों, उनके आपसी तालमेल और सक्रियता का शानदार प्रदर्शन हुआ, जो आधुनिक भारत के नारी आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण सीमा चिह्न माना जाता है। इस मुद्दे पर भारत के

© 2008 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **किरण कुमारी**
Submitted: 18 October 2008, Revised: 09 November 2008, Accepted: 27 December 2008

How to Cite:
किरण कुमारी (2008). नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे
International Journal of Economic Perspectives), 33-39.
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article
नारी संगठनों ने तर्क विकसित करने, लाबिंग करने, स्मार–पत्र के प्रभावी दबाव बनाने तथा वृहत सम्पर्क साधने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाल–विवाह एक ऐसा ज्वलन्त मुद्दा था, जिसे पहली बार नारी संगठनों ने प्रभावशाली ढंग से उठाया।

वैधिक अयोग्यताओं के विरूद्ध संघर्ष

1930 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र में संगठित महिलाओं ने काफी अनुभव अर्जित किया और यह गम्भीरतापूर्वक महसूस किया कि महिलाओं की परावलम्बिता उनकी दुर्दशा का प्रमुख कारण है, जो प्रत्यक्षतः महिलाओं की वैधिक अयोग्यताओं का परिणाम है। संगठित महिलाआ की शिक्षा, सामाजिक कार्यों के अनुभव, बाल विवाह निषेध तथा मताधिकार के लिए चलाए गए आन्दोलनों और राष्ट्रीय आन्दोलन में सहभागिता ने उनमें अपनी क्षमताओं में आत्म वि"वास और एक मिशनरी उत्साह पैदा किया। लैंगिक आधार पर पुरुषों को प्राप्त नागरिक अधिकारों से स्त्रियों को वंचित रखना नारी संगठनों को काफी नागवार लगता था। उनका मानना था कि नागरिक अधिकारों के मामले में वैधिक अयोग्यताओं को दूर किए बिना भविष्य में किसी सुधार की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। शारदा एक्ट का उदाहरण उनके सामने था, जो सामाजिक स्तर पर क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

1930 के दशक में महिला संगठनों की मांग पर केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में स्त्रियों के स्तरोन्नयन के लिए अनेक विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें हिन्दू महिला सम्पत्ति विषयक अधिकार विधेयक, बाल विवाह निषेध अधिनियम संशोधन विधेयक, अन्तर्जातीय विवाह विधेयक, हिन्दू महिला तलाक अधिकार विधेयक, मुस्लिम पर्सनल लॉ विधेयक, बहुविवाह निरोधक विधेयक और मुस्लिम महिला तलाक अधिकार विधेयक प्रमुख थे। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में दहेज विरोधी विधेयक, विवाह विधेयक आर स्त्री उत्तराधिकार विधेयक भारी संख्या में पेश किए गए।

1937 में नई व्यवस्थापिका संभाओं का गठन हुआ, जिनमें ऐसे प्रगतिशील लोगों की कमी नहीं थी जो राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं के योगदान के महत्त्व को समझते थे और महिलाओं के मुद्दों से सहानुभूति रखते थे। इस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय

© 2008 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **किरण कुमारी**
Submitted: 18 October 2008, Revised: 09 November 2008, Accepted: 27 December 2008

How to Cite:
किरण कुमारी (2008). नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे
International Journal of Economic Perspectives), 33-39.
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article
संगठन भी भारतीय मामलों में दिलचस्पी लेने लगे थे। अतः राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नजरों में भारत की तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए भी स्त्रियों की दशा में सुधार सम्बन्धी विधायन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी।

समकालीन सामाजिक मुद्दे

उपनिवेशकालीन नारी आन्दोलन स्त्रियों के कष्ट का कारण परम्परा और धर्म को मानता था, जिसका निवारण शिक्षा और वैधिक परिवर्तन द्वारा ही हो सकता था। फलतः औपनिवेशिक काल में स्त्री शिक्षा तथा वैधिक अयोग्यताओं की समाप्ति के लिए व्यापक नारी आन्दोलन हुआ। सामाजिक नारीवाद का मानना था कि घर–गृहस्थी तथा पारिवारिक मामलों को उन मंचों पर लाना जरूरी है, जहाँ सार्वजनिक नीतियों पर बहस एवं उनका निर्धारण होता है। लेकिन नारीवादी आन्दोलन के पास सामाजिक रुपान्तरण और लैंगिक असमानता को खत्म करने की कोई सुचिन्तित कार्ययोजना नहीं थी। फिर भी आजादी के बाद जहाँ स्थापित नारी संगठन अनुदान भोगी हो गए, वहीं नारीवाद की उठी लहर में असंख्य नारी समूहों तथा संस्थाओं का जन्म हुआ। शहरों तथा गांवों में प्रशिक्षित नारी नेतृत्व के प्रादुर्भाव ने नारी आन्दोलन को एक नई दिशा दी। नारीवादी प्रेस, मीडिया तथा साहित्य ने नारी चेतना के विकास का पथ प्रशस्त किया।

इस नारी आन्दोलन ने पारम्परिक प्रथाओं, रीति–रिवाजों, वि"वासों तथा संस्थाओं को नारी दमन एवं उत्पीड़न का स्त्रोत मानते हुए, उन्हें उजागर करने की नीति को जारी रखा। इसने नारी प्रताड़ना एवं हिंसा तथा लैंगिक असमानता के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। आन्दोलन के नेताओं ने चुप्पी तोड़ी और हर उस मुद्दे का पर्दाफाश करना शुरू किया जो निजी और सामुहिक तौर पर नारी प्रताड़ना, उत्पीड़न, शोषण, अपमान, अत्याचार और हिंसा से जुड़े होते थे। इसने सदियों पुरानी नारी की उस तस्वीर को तोड़ा, जिसके अनुसार भारतीय नारी त्याग, बलिदान, सहनशीलता और सेवा की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। अब नारी आन्दोलन ने परिवार, राज्य तथा समाज को अपनी आलोचना के घेरे में लिया। नारी आन्दोलन के केन्द्र में अब नारी प्रताड़ना और हिंसा था। 1979 में नई दिल्ली की एक महिला समूह ने हिन्दी तथा अंग्रेजी में मानुषी नामक पत्रिका

© 2008 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **किरण कुमारी**
Submitted: 18 October 2008, Revised: 09 November 2008, Accepted: 27 December 2008

How to Cite:
किरण कुमारी (2008). नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे
International Journal of Economic Perspectives), 33-39.
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article
का प्रकाशन प्रारम्भ किया, जो शीघ्र ही भारत में नारीवाद का मुखपत्र बन गई। मानुषी ने नारी आन्दोलन को मुखर बनाया और एक ऐसी नारी चेतना के विकास का पथ प्रशस्त किया, जिसके दायरे में पति–पत्नी एवं पारिवारिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन के प्रायः हर क्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असमानता और फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण आदि के सारे मामले सहज समाहित थे।

1972 में मथुरा कांड ने पलिसिया अत्याचार तथा सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ नारीवादी संगठनों को सड़क पर उतड़ने के लिए बाध्य कर दिया। मथुरा 14 से 16 वर्ष के आयुवर्ग की एक निम्न जातीय लड़की थी, जिसे सवाल पूछने के बहाने पुलिस हवालात में बन्द कर दिया गया और फिर उसका सामुहिक बलात्कार किया गया। रिहा होने के बाद मथुरा ने जब बलात्कार की शिकायत की तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया। इसके खिलाफ दिल्ली में जबर्दस्त प्रशर्दन हुआ। नारीवादी संगठनों ने और फिर मीडिया ने पूरे देश में मथुरा कांड के विरूद्ध तीव्र आक्रोश के वातावरण का निर्माण किया। किन्तु नागपुर जज ने पुलिस के इस दलील को मान लिया कि मथुरा ने साहचर्य की सहम नारीवादियों के बीच इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। बहरहाल जब सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ नागपुर हाई कोर्ट में अपील की गई तो हाई कोर्ट ने बलात्कारी पुलिसवालों को दोषी करार देते हुए इन्हें सजा दी। परन्तु घटना के छह वर्ष बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह दलील दी कि द्वारा प्रतिरोध का कोई साक्ष्य नहीं था।

दिल्ली वि"वविद्यालय के विधि के प्राचार्य उपेन्द्र बक्शी ने मथुरा कांड का विवरण एक कानूनी पत्रिका में पढ़ा और फिर अपने तीन अन्य सहयोगियों रघुनाथ केलकर, लतिका सरकार तथा वसुधा धागमवार के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें मथुरा मामले की न्यायिक पुनर्समीक्षा की मांग की गई थी। नारी संगठनो ने भी मथुरा मामले को फिर से खोलने की अपील की। तकनीकी आधार पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने सारे आवेदनों को खारिज कर दिया तो

© 2008 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **किरण कुमारी**
Submitted: 18 October 2008, Revised: 09 November 2008, Accepted: 27 December 2008

How to Cite:
किरण कुमारी (2008). नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे
International Journal of Economic Perspectives), 33-39.
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article
दिल्ली तथा बम्बई की महिलाओं ने जबर्दस्त प्रदर्शन किए और नारे लगाए कि श्सुप्रीम कोर्ट ! सुप्रीम कोर्ट !! आपके विरूद्ध हम कहाँ जाएँ?

आन्दोलन का दबाव बढ़ता गया और सरकार एक न्यायिक आयोग का गठन करने के लिए विवश हो गई, जिसके सुझाव पर 1980 में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। लेकिन इसे काफी असन्तोषजनक माना गया। इस मामले की अन्तिम समीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, ष्बलात्कार पीड़िता के अपुष्ट साक्ष्यों को सामान्यतः सन्देह की दृष्टि से नहीं देखा जाय।श्श महिला कार्यकर्त्ता जानती थीं कि नया व्यस्थापन महिलाओं को बलात्कार से सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है, वे गम्भीर हिंसात्मक अपराध घोषित करवाना चाहती थीं।

चिपको आन्दोलन से संगठित महिलाओं ने एक अन्य सामाजिक बुराई शराबखोरी के खिलाफ भी मोर्चा खोला। पुरूषों की शराबखोरी की लत के कारण स्त्रियों को भीषण कष्ट का सामना करना पड़ता था और यह उत्तराखंड की आम समस्या थी। 1977 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी की स्थापना हुई थी और वाहिनी ने चिपको आन्दोलन के साथ–साथ शराबबन्दी के लिए भी आन्दोलन चलाया। 1984 से स्त्रियों ने जत्था बनाकर शराब की दुकानों पर धावे मारने शुरू किए। वे समूहों में जाकर शराब की दूकान को बन्द कराती थीं और तथा दुकानदारों का वहाँ से भगाती थीं। दुबारा दूकान न खुल सके इसके लिए दूकान पर पहरा बैठा देती थी शराब बेचनेवाले और शराबियों का मुँह काला करके भी घुमाया जाता था। पत्नी की पिटाई करनेवाले शराबी पति को स्त्री कार्यकर्त्ताओं के जत्थे के द्वारा झाड़ू से पीटा जाता था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के इस शराबबन्दी आन्दोलन देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो काफी सफल रहा था।

2–3 दिसम्बर 1984 की शाम में भोपाल में युनियन कार्बाइड बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कम्पनी के कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसस लगभग 4000 लोग मर गए और 50,000 से अधिक लोग नपुंसकता तथा विकलांगता के शिकार हो गए। आपदा की इस घड़ी में महिलाओं ने न केवल राहत सहायता का मोर्चा सम्हाला, बल्कि गैस पीड़ितों के पुनर्वास, राहत तथा मुआबजा के लिए लम्बी लड़ाई भोपाल गैस पीड़ित

© 2008 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **किरण कुमारी**
Submitted: 18 October 2008, Revised: 09 November 2008, Accepted: 27 December 2008

How to Cite:
किरण कुमारी (2008). नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे
International Journal of Economic Perspectives), 33-39.
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

महिला संगठन ने आन्दोलन और कानूनी लड़ाई दोनों रास्ता अख्तियार किया। प्रदर्शन तथा मुकदमेबाजी के द्वारा भोपाल गैस पीड़ित महिला संगठन का जुझारू दीर्घकालिक संघर्ष काफी सफल रहा। 1989 में सरकार की ओर से राहत दी गई, वहीं 1992 में उच्चतम न्यायालय ने मुआबजे के लिए यूनियन कार्बाइड द्वारा किए गए समझौते को लागू करने का निर्देष दिया। निस्संदेह भोपाल गैस पीड़ित आन्दोलन ने भारतीय स्त्रियों के जुझारू चरित्र का परिचय दिया।

इस प्रकार आधुनिक भारतीय नारी आन्दोलन ने ज्वलन्त सामाजिक मुद्दों पर अपनी सक्रियता का परिचय दिया और बाल विवाह, वैधिक अयोग्यता, दहेज हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना, तालाक आदि जैसे ज्वलन्त सामाजिक मुद्दों पर आन्दोलन के जरिए कानूनी अधिकार एवं संरक्षण हासिल करने में सफलता पायी। लेकिन व्यवहारिक स्तर इसमें कितनी कामयाबी मिली यह संदेहास्पद है। फिर भी शराबबन्दो, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा से निबरने जैसे गुद्दों पर समकालीन नारी आन्दोलन को मुकम्मल सफलता मिली। निस्संदेह 20 वीं सदी में नारी आन्दोलन ने सामाजिक रूपान्तरण के क्षेत्र में अपनी सजगता, सक्रियता, संवेदनशीलता तथा जुझारू चरित्र का परिचय दिया।

© 2008 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **किरण कुमारी**
Submitted: 18 October 2008, Revised: 09 November 2008, Accepted: 27 December 2008

How to Cite:
किरण कुमारी (2008). नारी आन्दोलन के सामाजिक मुद्दे
International Journal of Economic Perspectives), 33-39.
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article
संदर्भ :

1. गेरेल्डाइन फोर्ब्स, पूर्वोक्त, 85
2. अकीलाबाई का व्याख्यान, 'चाइल्ड मैरिज बिल' द हिन्दू, (क्लीपिंग, एन० डी०) डी० आर० पी०
3. इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 2 नं0 3 एवं 4 (जुलाई दिसम्बर 1929), कलकत्ता (एन0 डी0). पृ0 395–96
4. गेरेल्डाइन फोर्ब्स, पूर्वोक्त, पृ0 88
5. उपर्युक्त
6. एन0 सी0 डब्यू0 आई0 1928–29, पृ0 20
7. डब्ल्यू० आई० ए० गोल्डेन जुबली सेलेब्रेशन वोल्यूम, मद्रास, 1967, पृ05
8. ए० आई०. डब्ल्यू0 सी0, 1930, पृ0 12, 14
9. गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया. होम डिपार्टमेन्ट, जुडीशियल, फाइल नं0 793/32
10. ए० आई० डब्ल्यू0 सी0, 1931, पृ0 31
11. गेरेल्डाइन फोबर्स, पूर्वोक्त, पृ0 89

© 2008 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **किरण कुमारी**
Submitted: 18 October 2008, Revised: 09 November 2008, Accepted: 27 December 2008